Policy No.RB/CE/10/2003

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF RAILWAYS (RAILWAY BOARD)

No.2003/CE.I/CT/14

New Delhi, dated 15-10-2003

Addressed to:

As per list attached.

Sub: Issue of instructions in regard to drawing up of self-contained and self-explanatory TC Minutes.

धोत्रीय रेलों यर एक समर्थता याग्रह्मे क्ष्री व्हांच के दौरान सतर्थता आव्या द्वारा यह पाया गया है कि तनक प्रमाण-पत्रों के आधार प्रसृत्तिकृताय बोतीसता-(एल-1) की अनदेखी कर दी गई वी और

While investigating one of the Vigilance cases on zonal railways, it has been noticed by Vigilance Branch that the lowest bidder (L-1) was bypassed on the ground of unsatisfactory credentials and tender was awarded to second lowest tenderer (L2) at a higher rate. Although, the decision of Tender Committee was considered justified, the decision was not adequately substantiated with reasoning in the tender minutes. In this connection, Central Vigilance Commission has also observed that Tender Committee should have brought out, in more details, the reasons for considering the credentials of L-1 as unsatisfactory and also the reasonability of rates, counter-offered to L-2.

Incidentally, the estimated value of the work was shown as 2.06 lakh in the minutes whereas the offer recommended for acceptance was more than one crore & even the T.C. members did not put dates under their signature. The actual estimated cost, as per tender notice and briefing note, was Rs.1,04,11,500/-.

Therefore, it is reiterated that T.C. minutes should be self-contained and TC should clearly bring out the reasons, in detail for bypassing the lowest/lower offers & T.C. should do thorough check of the figures indicated in Minutes & members should also put dates under their signature.

This issues with the concurrence of Finance and Vigilance Directorates of Railway Board.

(PARMOD KUMAR)
Exec Director, Civil Engg. (G)
Railway Board

भारत सरकार रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. 2003/सी ई 1/सी टी/14

नई दिल्ली, दिनांक: 15-10-2003

प्रेषितः

संलग्न सूची के अनुसार,

copy of the reports

विषय: निविदा समिति के स्वतःपूर्ण तथा स्वतःस्पष्ट कार्यवृत्त तैयार करने के संबंध में अनुदेश जारी करना.

क्षेत्रीय रेलों पर एक सतर्कता मामले की जांच के दौरान सतर्कता आखा द्वारा यह पाया गया है कि असंतोषजनक प्रमाण-पत्रों के आधार पर निम्नतम बोलीदाता (एल-1) की अनदेखी कर दी गई थी और निविदा ऊंची दर पर दूसरे निम्नतम बोलीदाता (एल-2) को दे दी गई थी. हालांकि, निविदा समिति के निर्णय को औचित्यपूर्ण माना गया था परंतु यह निर्णय निविदा कार्यवृत्त में दिए गए तर्कों से पर्याप्त रूप से सिद्ध नहीं होता था. इस संबंध में, केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने भी पाया है कि निविदा समिति को एल-1 के प्रमाण-पत्रों को असंतोषजनक माने जाने के कारणों तथा इसके बदले एक-2 को निविदा देने, दरों की व्यावहारिकता के बारे में भी और विस्तृत ब्यौरे देने चाहिए थे.

प्रसंगवश, इस कार्य का अनुमानित मूल्य कार्यवृत्त में 2.06 लाख रूपये के रूप में दर्शाया गया था जबिक स्वीकृति के लिए सिफारिश किया गया प्रस्ताव एक करोड़ से अधिक था और निविदा समिति के सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर के नीचे तारीख भी नहीं डाली थी. निविदा सूचना तथा ब्रीफिंग नोट के अनुसार, वास्तविक अनुमानित लागत 1,04,11,500/-रुपए थी.

अतः यह पुनः दोहराया जाता है कि निविदा समिति के कार्यवृत्त स्वतःपूर्ण होने चाहिए और निविदा समिति को निम्नतम/निम्न प्रस्तावों की अनदेखी करने के कारणों का विस्तृत एवं स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए और निविदा समिति को कार्यवृत्त में उल्लिखित आंकड़ों की बखूबी जांच करनी चाहिए और सदस्यों को अपने हस्ताक्षर के नीचे तारीख भी डालनी चाहिए.

इसे रेलवे बोर्ड के वित्त एवं सतर्कता निदेशालयों की सहमति से जारी किया जा रहा है.

प्रमोद कुमार) (प्रमोद कुमार) कार्यपालक निदेशक, सिविल इंजी (सा.)

रेलवे बोर्ड.